

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 375/2019

वादपत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

बन्तकौर पत्नी जसराम जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादीया

बनाम

1. रूड सिंह पुत्र गजन सिंह | जाति जटसिख सा.शेरगढ़ हाल सरदारगढ़ तह.व जिला बठिन्डा
2. नसीबो पुत्री गजन सिंह |
3. जोगेन्द्र सिंह पुत्र सजन सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़
4. दिलबाग सिंह | पि. गुरप्रताप सिंह जाति जटसिख सा.शेरगढ़ हाल सरदारगढ़ तहसील
5. सुखजीत सिंह | व जिला बठिन्डा
6. जसवीर कौर पत्नी गुरप्रीत सिंह | जाति जटसिख सा. सतीपुरा तह.व जिला हनुमानगढ़।
7. कुलदीप कौर पत्नी गुरमीत सिंह |
8. पी.एन.बी. शाखा संगरिया।
9. तहसीलदार राजस्व संगरिया।



प्रतिवादीगण

दिनांक :-.....

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वा मी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री..... मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव वादीया का वाद पत्र तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक:-पीडी/भू.अ./023/8437 दिनांक 14.08.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री आंशिक निम्नानुसार दी जाती है कि वादिया बन्तकौर पत्नी जसराम सिंह जाति अराई निवासी मानकसर की चक 16 एमकेएस के खाता संख्या 43/45 में मौके की कब्जा काश्त अनुसार प.न. 167/228 मु.न. 60 किला नं. 16/1/0.127 है. किला नं. 17/0.126 है. किला नं. 24/0.126 है. किला नं. 25 0.127 है. प.न. 168/228 मु.न. 61 किला नं. 20/1/0.127 है. 21/0.126 है. कुल 0.759 है भूमि का खाता अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग से कायम करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। बैक रहन यथावत रहेगा।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.02.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया